राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–6) विभाग

क्रमांक प. 3 (3) साप्र/6/2008 पार्ट   दिनांक 2.12.14

कार्यालय आदेश

राजस्थान राज्य मे मीसा एवं डी.आई.आर. बन्दियों को पेंशन नियम, 2008 के तहत पेंशन भुगतान की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी :–

(1) जिला कलक्टर द्वारा मीसा/डी.आई.आर बन्दियों को पेंशन की स्वीकृति जारी कर उसके साथ पेंशनर के संबंध में सभी वांछित सूचनाओं (संलग्नक–क अनुसार) को प्रमाणित कर निदेशक, पेंशन एवं पेशनर्स वेलफेयर विभाग राजस्थान जयपुर को प्रस्तुत किया जायेगा। इसके आधार पर निदेशक, पेंशन एवं पेशनर्स वेलफेयर विभाग द्वारा केन्द्रीयकृत व्यवस्था के अन्तर्गत पेंशन निदेशालय से पी.पी.ओ. जारी किए जावेंगे।

(2) राजस्थान मीसा एवं डी.आई.आर. बन्दियों को पेंशन नियम, 2008 के अन्तर्गत पात्रता/अपात्रता की जांच कर स्वीकृतियाँ जिला कलक्टर द्वारा ही जारी की जावेगी। जिला कलक्टर द्वारा किसी अपात्र व्यक्ति को जारी स्वीकृति आदेश के आधार पर पी.पी.ओ. जारी किए जाने के संबध में पूर्ण उत्तरदायित्व जिला कलक्टर का होगा। निदेशक, पेंशन एवं पेशनर्स वेलफेयर विभाग का पात्रता/अपात्रता के संबंध में कोई दायित्व नहीं होगा।

(3) मीसा/डी.आई.आर पेंशन का भुगतान बैंक के माध्यम से किया जावेगा तथा वर्ष में दो बार जीवित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा।

(4) यह पेंशन केवल मीसा/डी.आई.आर. बन्दियों एवं उनके पश्चात् केवल SPOUSE तक ही सीमित रहेगी, उसके पश्चात् परिवार के अन्य किसी सदस्य को यह पेंशन देय नहीं होगी, इस आशय का स्पष्ट उल्लेख जिला कलक्टर, अपने स्वीकृति आदेश में करेंगे।

(5) निदेशक, पेंशन द्वारा मीसा/डी.आई.आर. बन्दियों को पी.पी.ओ. जारी करते समय निम्नांकित प्रक्रियागत व्यवस्था सुनिश्चित की जावेगी :–

(i) मीसा/डी.आई.आर. बन्दियों के पी.पी.ओ. के लिए पृथक कोड उपयोग में लिया जाए।

(ii) उक्त पी.पी.ओ. भिन्न रंग के कागज पर जारी किये जाने की व्यवस्था की जाएगी।

(iii) पी.पी.ओ. में स्पष्ट रूप से मुद्रित किया जाये कि :–

55 ad letter

(क) इस पी.पी.ओ. के अन्तर्गत पेंशनर एवं उसके पश्चात् उसके SPOUSE के अतिरिक्त परिवार के किसी अन्य सदस्य को यह पेंशन देय नहीं है।

(ख) उक्त पी.पी.ओ. संबधित जिला कलक्टर के स्वीकृति आदेश के आधार पर जारी किया गया है और पात्रता/अपात्रता के संबंध में पेंशन विभाग द्वारा कोई जांच नही की गई है।

(ग) पेंशन भुगतानकर्त्ता बैंक के साथ सरकार की ओर से पृथक से एम.ओ.यू. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग द्वारा वित्त (वित्त आयोग एवं आर्थिक मामलात) विभाग के माध्यम से किये जाते समय यह सुनिश्चित किया जावे कि मीसा/डी.आई.आर. बन्दियों की पेंशन का बैंक स्क्रॉल पृथक से प्रस्तुत करने सहित अन्य आवश्यक बिन्दु जो निदेशक, कोष एवं लेखा द्वारा उचित समझे जावें, का समावेश कर लिया जावे।

यह आदेश वित्त (बजट) विभाग की आई.डी.संख्या 101404207 दिनांक 24.11.2014 से प्राप्त सहमति के क्रम में जारी किया जा रहा है।

मीसा/डी.आई.आर पेंशन के लिए पेंशन प्राप्तकर्त्ता की विशिष्टियों के ब्योरे के प्रपत्र का प्रारुप (संलग्नक–क) सलंग्न किया जा रहा है। इस प्रपत्र की तीन प्रतियाँ आवेदक से प्राप्त कर जिला कलक्टर द्वारा फोटो एवं तथ्यों को प्रमाणित करते हुए निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग को स्वीकृति आदेश के साथ पी.पी.ओ. जारी करने हेतु प्रेषित की जाएँगी।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

(अजीत कुमार सिंह)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ट शासन सचिव, वित्त (व्यय) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर।
2. विशिष्ट शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, समस्त
4. निदेशक, कोष एवं लेखा वित्त भवन जयपुर।
5. निदेशक, पेंशन विभाग राजस्थान, जयपुर।
6. मुख्य लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग
7. कोषाधिकारी, समस्त

(अजीत कुमार सिंह)
प्रमुख शासन सचिव

36 a4 letter

संलग्नक -क

मीसा/डी.आई.आर. पेंशन के लिए विशिष्ठियों के ब्योरे का प्रपत्र (तीन प्रतियों में)

1. आवेदक का नाम ....
2. पिता/पति का नाम ....
3. जन्म तिथि ....
4. व्यक्तिगत पहचान के चिह्न ....
5. हस्ताक्षर
   1. ....
   2. ....
   3. ....

बांये हाथ के अगूठे की निशानी (यदि आवेदक इतना पढ़ा लिखा न हो कि हस्ताक्षर कर सके।यदि अँगूठा ना हो तो सामने अंकित क्रम में से जो निशान लिया जा सके)

अँगूठा	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठा

6. निवास स्थान का पता ....
7. वर्तमान पता ....
8. कोषागार का नाम जहाँ से पेंशन आहरित की जानी है ....
9. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक/ब्रान्च का नाम जिसके माध्यम से पेंशन आहरित्त की जानी है :–
   (i) बैंक का नाम ....
   (ii) ब्रान्च का नाम ....
   (iii) आई.एफ.एस.सी. कोड ....
10. बैंक खाता संख्या ....
11. पेंशन की राशि ....
12. अनुप्रमाणित रंगीन फोटो

जिला कलेक्टर द्वारा अनुप्रमाणित फोटो

(जिला कलेक्टर)

54 a4 letter